"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 166] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 28 अप्रैल 2016— वैशाख 8, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2016

क्रमांक 4202/डी. 139/21-अ/प्रारू./छ.ग./16.— छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 22-04-2016 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 13 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अधिनियम, 2016

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 138 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 138 में,-

(एक) उप-धारा (3) में, पूर्ण विराम चिन्ह "." के स्थान पर, कोलन चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाये; तथा

(दो) उप-धारा (3) के पश्चात् , निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"परन्तु यह कि 31 दिसम्बर, 2016 तक, ऐसे मामलों में जहां अंतर दस प्रतिशत से अधिक हो, भूमि और/ या भवन का स्वामी, यथास्थिति, उसके द्वारा किये गये स्वनिर्धारण तथा निगम के द्वारा किये गये निर्धारण के अंतर के दस प्रतिशत के बराबर शास्ति भुगतान करने का दायी होगा."

रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2016

क्रमांक 4202/डी. 139/21-अ/प्रारू./छ.ग./16. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28-04-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 13 of 2016)

CHHATTISGARH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) ACT, 2016

An Act further to amend the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-seventh Year of the Republic of India, as follows :-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattistgarh Municipal Corporation (Amendment) Act, 2016.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 138.

2. In Section 138 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956),-

(i) in sub-section (3), for the punctuation full stop "." , the punctuation colon ":" shall be substituted; and

(ii) after sub-section (3), the following shall be inerted, namely :-

"Provided that till 31st December, 2016, in such cases where the difference is more than ten percent, the owner of the land and/or building, as the case may be, shall be liable to pay penalty equal to ten percent of the difference on self assessment made by him and the assessment made by the Corporation."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.